

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. 286/2017 वाद
GCMS NO.- 2017/00496

1. प्यारा पिता घासी जाति नायक आयु 66 वर्ष निवासी माध्याखेड़ी तह0
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-वादीगण

//बनाम//

1. रुपा पिता घासी जाति नायक आयु 80 वर्ष निवासी माध्याखेड़ी तह0
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. रामलाल पिता घासी जाति नायक आयु 74 वर्ष निवासी माध्याखेड़ी
तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. गिरधारी पिता घासी नायक आयु 70 वर्ष निवासी माध्याखेड़ी तह0
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. अमृराम पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी माध्याखेड़ी
तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. जयचंद पिता नारायण जाति नायक निवासी माध्याखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. बंशीलाल पिता नारायण जाति नायक निवासी माध्याखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. शम्भुलाल पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी माध्याखेड़ी
तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. अनिल कुमार पिता मोहनलाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी
माध्याखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. सुनिता पिता मोहनलाल जाति नायक आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये
सरपरस्त माता गुड्डीबाई पत्नि मोहनलाल जाति नायक आयु वयस्क
निवासी माध्याखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
10. गुड्डीबाई पत्नि मोहनलाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी
माध्याखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
राज0।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

- प्रतिवादीगण



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 53,88,188, रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा की उपस्थिति में दिनांक 24.07.2018 को जारी प्राथमिक डिक्री में विवादित भूमि मौजा माध्याखेड़ी की खाता संख्या 2 की आराजी नं. 5, 15, 206, 207, 208, 209 कुल कीता 6 कुल रकबा 2.5500 हैक्टेयर भूमि में वादी प्यारा पिता घासी नायक का 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा रहेगा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 10 का संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्सा रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500 रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि उपर्युक्तानुसार पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा कब्जे को ध्यान में रखते हुए वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/टीआरए/20/147 दिनांक 18.08.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा माध्याखेड़ी का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

- 1.- श्री लक्ष्मीलाल राजकुमार सम्पतबाई सन्तोषबाई कंकुबाई सीमा संजु पिता अमृतराम मु0 कमली बाई पत्नि स्व0 अमृतराम 1/20 जयचन्द बंशीलाल शम्भुलाल पिता नारायण 3/20 अनिल कुमार सुनीता पिता मोहनलाल गुड्डीबाई पत्नि मोहनलाल 1/20 रुपा 1/4 रामा 1/4 गिरधारी 1/4 पिता घासी नायक सा. देह रहन बदस्तूर

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
15	0.02	0.06
206	0.01	-
207	0.66	12.54
208	0.33	6.27
209	0.14	0.42
5 में से (दक्षिण पूर्व में)	0.23	1.15
5 में से (उत्तर में)	0.65	3.25

कुल कीता 7 कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल लगान 23.69 रूपये

2. - प्यारा पिता घासी नायक सा0 देह खातेदार के रहेगी-

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
5 मीन	0.5100	2.55


कुल कीता 1 कुल रकबा 0.5100 हैक्टेयर कुल लगान 2.55 रूपये

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 20.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सुपरवाइजर अधिकारी
निम्बोहड़ा (राज.)